बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

–: अधिसूचना :–

संʼ0सं0–04/HFA-18/16 2153 दिनांक–19/9/17

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक–17.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) प्रारंभ की गई। यह योजना बिहार राज्य के सभी नगर निकायों में लागू है। योजना का उद्देश्य मिशन अवधि (2015–22) में सभी आवासविहीन को आवास उपलब्ध कराना है। योजना के महत्वपूर्ण घटक भागीदारी में किफायती आवास एवं स्व–स्थाने स्लम विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा "किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुर्नविकास आवास नीति 2017" लागू की गई है जो राज्य के सभी शहरी एवं आयोजना प्राधिकार क्षेत्र में प्रभावी हैं। "किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुर्नविकास आवास नीति 2017" की कंडिका 5.3 में जिला स्तरीय योजना एवं अनुश्रवण समिति (डी0एल0पी0एम0सी0) के गठन का प्रावधान है। अतएव परियोजना के अनुश्रवण करने, सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक निर्णय लेने तथा सर्वेक्षण करने के लिए परियोजना विकास एजेंसी (पी0डी0ए0) को समर्थ बनाने विवादों का समाधान करने आदि के लिए मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास (एस0आर0आर0एच0) हेतु जिला पदाधिकारी (डी0एम0) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय योजना एवं अनुश्रवण समिति (डी0एल0पी0एम0सी0) का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

1.	जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	संबंधित श0स्था0नि0(ULB) का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव
3.	बि0रा0आ0बो0 के एम0डी0 का प्रतिनिधि (कार्यपालक अभियंता)	–	सदस्य
4.	अपर समाहर्त्ता	–	सदस्य
5.	संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी	–	सदस्य
6.	संबंधित श0स्था0नि0(ULB) का प्रतिनिधि अभियंता	–	सदस्य

संबंधित श0स्था0नि0(ULB) का नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। अनुमण्डल जिसमें श0स्था0नि0(ULB) अवस्थित है, उसके अनुमण्डल पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे। जहाँ मलिन बस्ती अवस्थित हो उसके भूस्वामित्व वाले विभाग/प्राधिकार/पी0डी0ए0 के प्रतिनिधि को तथा जहाँ पुनर्विकास एवं पुनर्वास किया जायेगा उस भूमि के स्वामी को डी0एल0पी0एम0सी0 के सभी बैठकों में आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जायेगा।

2. यह समिति किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 में वर्णित दायित्वों का निर्वहन करेगी।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्य के राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04/HFA-18/16 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 संलग्न) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की 200 प्रतियां विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–04/HFA-18/16 2153 पटना, दिनांक– 19.9.17

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, बुडा/निदेशक, बुडको/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/2017
प्रधान सचिव।